

23/2/18

वादी एवं वादी का वकील अनुपस्थित प्रतिवादी वकील  
उपस्थित। वादी एवं वादी के वकील को आज इजलास वक्त  
तब डाकोले लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई अदालत  
उपस्थित नहीं आया प्रतिवादी वकील ने निवेदन किया कि  
वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित रहे से प्रकरण खारिज  
किया जावे। कतः प्रकरण अदम्य पैरवी अदम्य हाजिरी में  
खारिज किया जाता है। मिसल पैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम होकर दाखिल दफ्तार है।



(सुरेश चावला)  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
मसूदा (अजमेर) राज०

